

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:--स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3568 / 2023

दिनांक ०1.12.2023

श्री शंकर लाल गुप्ता (RJ00315), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II को दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 03.12.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, जयपुर महानगर-I इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:--स्था.बी.2(4)/20/2000/7727

दिनांक :01.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1383 दिनांक 17.11.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री शंकर लाल गुप्ता (RJ00315), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, जयपुर महानगर-I

सहायक रजिस्ट्रार